


१५.१.१८ पतावली पेश हुई वकील अमीलान्त उपाध्ये  
 वकील अमीलान्त की जा.सं. 353 दिनांक 7.1.19  
 की अमीलान्त सम दफा 5 पर्यवापतनी रफा तदफा  
 बहस हुनी गई। पतावली का अवलोकन किया गया  
 मजबूत किया। अमीलान्त का उस्तुत अमील  
 आंशिक स्वीकार किया जाना सहूल्यदा -  
 कि वेनवाल को अमीलान्त रिमाउर निमे को  
 आदेश प्रदान निमे को है। तदमीलान्त को वेनवाल  
 को आदेश दिया जाना है कि उभय पक्षवाला  
 को मुलनाई का अणसर देकर बोध, सम्बत गिरा  
 मांशिक को हर नामान्तरण दर्ज करे। निमे  
 प्रथम ले निमा जाना शामिल पतावली रफा  
 प्रस्ता है पतावली पेश की कुमार होकर जम्कर से  
 नाम से इस आशय की तदमीलान्त दफा को आदेश



उपरोक्त अधिकारी  
 साँभर लेक (जयपुर)

